क्रम संख्या–10 (च)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई0

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 19/XXXVI(3)/2018/92(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सराय अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2018)

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 68वें वर्ष में अधिनियमित)

सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष 1867) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित किए जाने के लिए,

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सराय अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

निरसन और व्यावृत्ति 2 (1) उत्तराखण्ड राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सराय अधिनियम, 1867 के उपबंध निरसित समझे जायेंगे और ऐसे निरसन पर उस अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो इस प्रकार निरसित उपबंध किसी केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध थे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी विधि के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया नियम, किया गया आदेश, किया गया रजिस्ट्रीकरण, जारी की गई अनुज्ञप्ति, दिया गया प्रमाण पत्र, दी गई सूचना, किया गया विनिश्चिय, दिया गया अनुमोदन, प्राधिकार या दी गई सम्मति यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है तो उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी तथा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई/जारी की गई या दी गयी हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष 1867) सार्वजनिक सरायों और पड़ावों का विनियमन करने के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम का विस्तार प्रथमतः उन राज्य क्षेत्रों पर था जो उत्तर पश्चिमी प्रान्तों के लेफ्टिनेंट–गवर्नर और बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के शासन के लिए था और इस अधिनियम को विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा भारत शासन के लिए विस्तारित कर दिया गया था।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 का अधिनियमन और उसके तद्धीन नियमों का प्रख्यापन कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त सराय अधिनियम, 1867 का प्रयोजन उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विफल हो गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम को भारत सरकार द्वारा अप्रचलित विधियों की सूची में भी उल्लिखित कर दिया गया है।

उक्त सराय अधिनियम, 1867 की विषय वस्तु राज्य की विधि बनाने के क्षेत्राधिकार में है। केन्द्र सरकार द्वारा भी विषय वस्तु राज्य सूची के होने के फलस्वरूप सम्बन्धित राज्य द्वारा ही निरसित किये जाने का निर्देश दिया गया है;

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मात्र निरसन विधेयक है।

सतपाल महाराज
मंत्री।